समक्षः वी रामास्वामी, माननीय मुख्य न्यायधीश, और जी.आर. मजीठिया, माननीय न्यायमूर्ति.

सुशील कुमार जैन और अन्य- याचिककर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता सिविल रिट याचिका सं. 1987 का 8804 4 अक्टूबर, 1989

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 16 - एक पूर्वव्यापी तिथि से अस्थायी पद को स्थायी पद में परिवर्तित करना - ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति - समानता की गारंटी का उल्लंघन - राज्य सरकार का आदेश शून्य है।

अभिनिर्णित किया की, यह समझ से परे है कि किस आधार पर राज्य सरकार ने दूसरे पद को पूर्वव्यापी तिथि से स्थायी पद में बदलने के बारे में सोचा था, जबिक इसका प्रभाव कुछ सरकारी अधिकारियों को उनके निहित अधिकारों से वंचित करना था। राज्य अपनी ओर से किसी अस्थायी पद को स्थायी पद में बदलने के लिए कोई कृत्रिम तारीख तय नहीं कर सकता है। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 14 और 16 का व्हिप व्यापक और व्यापक है। इन दो अनुच्छेदों में तर्कसंगतता का सिद्धांत शामिल है और इनका उद्देश्य राज्य द्वारा की गई मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल करना है। यह नियम अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक राज्य कार्रवाई में मनमानी को समाप्त किया जाना चाहिए। राज्य बिना कारण बताए एक अस्थायी पद को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायी बनाने के लिए कृत्रिम तारीख नहीं दे सकता है। यह अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता की गारंटी का उल्लंघन करता है और इन दो अनुच्छेदों का उल्लंघन होने के कारण, इसे शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अन्च्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट

याचिका में प्रार्थना की गई है कि: -

- (1) कि मामले के रिकॉर्ड की मांग की जा सकती है;
- (2) रिकॉर्ड के अवलोकन और पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित राहत प्रदान कर सकता है;
 - (a) दिनांक 30 जनवरी, 1984 के आदेश (अनुपत्र पी-4), दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 की अधिसूचना अनुलग्नक पी-1 और पी-8 तथा अनुपत्र पी-9 के आदेश को निरस्त करना; एक उपयुक्त रिट या आदेश जारी करके;
- (3) कि कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया जारी किया जा सकता है;
- (4) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य राहत दी जा सकती है;
- (5) कि संलग्नक की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता को मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए हटा दिया जाए;
- (6) कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए प्रतिवादियों को इस याचिका के अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता को समाप्त किया जाएं;
- (7) कि इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ दी जा सकती हैं;
- (8) यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस माननीय न्यायालय में याचिका के लंबित रहने के दौरान, *दिनांक 30* जनवरी, *1984* के आक्षेपित आदेशों का संचालन किया जाए *(अन्लग्नक* पी-4)

दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 की अधिसूचनाएं (अनुलग्नक पी-7 और पी-8) और आदेश अनुलग्नक पी-9 पर रोक लगाई जाए। अनुबंध पी-9 के अनुसरण में वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है। अंतरिम अनुरोध पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि स्थगन का चयन ग्रेड प्रदान करने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उच्च दर्ज पर आगे पदोन्नति पर असर पड़ेगा।

सी.एम. 1989 का 68

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि वरिष्ठता को पुनर्गठित करने के लिए उचित आदेश पारित किए जाएं, जैसा कि नीचे बताया गया है: -

श्रीश्री-

- 1. एस. के. जैन, याचिकाकर्ता नंबर 1
- 2. आर. के. नेहरू, याचिकाकर्ता नंबर 2
- 3. स्रिंदर सरूप, याचिकाकर्ता नंबर 3
- 4. हरि राम, प्रतिवादी नंबर 4

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि कोई अन्य उचित आदेश जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, कृपया पारित किया जा सकता है।

ह. एल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता (श्री आर सी सेतिया और वी के झांजी) याचिकाकर्ताओं के लिए उनके साथ वकील/

बी.एस. मलिक, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए, अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता (श्री राकेश गर्ग, उनके साथ वकील, प्रतिवादी *संख्या 1 के लिए)* 3.

जे. एस. खेहर, वकील, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

- (1) इस रिट याचिका को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को बार से सीधे हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में भर्ती किया गया था। वे 22 दिसंबर, 1977 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में संयुक्त रूप से नियुक्त हुए। परिवीक्षाधीन अवधि के सफल समापन पर, उन्हें 22 दिसंबर, 1979 से हरियाणा स्पीरियर न्यायिक सेवा में प्ष्टि की गई। प्रतिवादी नंबर 4 श्री हरि राम हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक) में थे। उन्हें 26 दिसंबर, 1977 को हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में एक कार्यवाहक क्षमता में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था और 31 दिसंबर, 1979 को उनकी नियुक्ति की गई थी। 1 जुलाई, 1987 तक स्धारी गई वरिष्ठता/श्रेणीकरण सूची में याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 4 से वरिष्ठ दिखाया गया था। हरियाणा राज्य में, संयुक्त विधिक स्मरणकर्ताओं के दो अस्थायी पद थे। एक पद को 4 जुलाई, 1979 से तत्काल प्रभाव से स्थायी कर दिया गया था- ज्ञापन, पत्र संख्या 1/14/79-जेजे (3) दिनांक 4 ज्लाई, 1979 के माध्यम से संयुक्त कानूनी स्मरणकर्ता का दूसरा अस्थायी पद 5 अगस्त, 1983 से स्थायी कर दिया गया था।
- (2) 30 जनवरी, 1984 को हरियाणा न्याय विभाग के वितीय आयुक्त और सरकार के सचिव ने कानूनी स्मरणकर्ता और हरियाणा कानून और विधायी विभाग के सरकार के सचिव को सूचित किया कि संयुक्त कानूनी स्मरणकर्ता का अस्थायी पद सृजित किया गया है। सं. 4298-3जेजे-73/18358, दिनांक 4 मई, 1973, और 5 अगस्त, 1983 से स्थायी किया गया था, को 14 मई, 1978 से

स्थायी माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 4 की पारस्परिक वरिष्ठता को फिर से तय किया गया और प्रतिवादी नंबर 4 को याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ दिखाया गया, अधिसूचना संख्या ४४७/जीएजेड १/वीआईएफ १० दिनांक १६ अक्टूबर, 1987 के माध्यम से। इस रिट याचिका में इस अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है। रिट याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात होने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले एचसीएस (न्यायिक) अधिकारियों के माननीय न्यायाधीशों द्वारा तैयार चयन सूची के अनुसार अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में निय्क्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश की थी। कार्यवाहक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 की पदोन्नति के समय, दस रिक्तियां थीं, जिनके लिए एचसीएस (न्यायिक) के अधिकारियों से नियुक्तियां की जानी थीं। हरियाणा के राज्यपाल ने 19 दिसंबर, 1977 को कार्यवाहक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित इन दस अधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर, 1977 को तैनाती आदेश जारी किए और प्रतिवादी संख्या 4 ने 26 दिसंबर, 1977 को करनाल में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। याचिकाकर्ताओं को 19 दिसंबर, 1977 को पूर्ण न्यायालय के फैसले के अनुसार तैनाती आदेश जारी किए गए थे और उन्होंने 22 दिसंबर, 1977 को अपने संबंधित तैनाती स्थानों पर कार्यभार संभाला था। वरिष्ठता तय करने का मानदंड प्ष्टि की तारीखों के संदर्भ में था। पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 2 (2) और 12 में संशोधन किया गया और पुराने और मौजूदा नियम

का संयुक्त प्रभाव यह था कि 7 मार्च, 1984 से पहले नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता को उनकी पुष्टि की तारीखों और इस तारीख के बाद नियुक्त किए गए लोगों के संदर्भ में सेवा में किसी पद पर निरंतर कार्य की अवधि के आधार पर निर्धारित याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 4 की किया जाना था। पारस्परिक वरिष्ठता उन्हें सौंपी गई प्ष्टि की तारीखों के संदर्भ में 1 जुलाई, 1987 तक सही की गई ग्रेडेशन सूची में परिलक्षित हुई थी। हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा के कैडर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश का एक स्थायी पद 14 मई, 1978 से पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़ा गया, जिसमें संयुक्त कानूनी स्मरणकर्ता, हरियाणा के एक अस्थायी पद को स्थायी पद में परिवर्तित किया गया, जिससे हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों की वरिष्ठता की पृष्टि और निर्धारण की नई तिथियां निर्धारित करना आवश्यक हो गया। इस मामले पर नए सिरे से विचार किया गया और परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4 4 ज्लाई, 1979 से प्ष्टि के लिए पात्र हो गया

(3) और इस प्रकार उसे रिट याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ दिखाया गया प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने लिखित बयान में कहा कि याचिकाकर्ताओं को 22 दिसंबर, 1977 को परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था और परिवीक्षा की अविध समाप्त होने पर उनकी पुष्टि की जानी थी। वह 26 दिसंबर, 1977 से हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में एक पद के खिलाफ कार्य कर रहे थे और इस पद को 14 मई, 1978 से स्थायी कर दिया गया था और उन्हें 4 जुलाई, 1979 से नियमित रूप से पदोन्नत किया गया था क्योंकि उन्हें किसी भी परिवीक्षा से गुजरना नहीं था और उन्हें 4 जुलाई से नियुक्त किया गया था। 1979 जब हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में स्थायी पद उपलब्ध हुआ। संक्षेप

में, प्रतिवादी संख्या 4 का बचाव राज्य सरकार के निर्णय पर आधारित है जिसके द्वारा संयुक्त कानूनी स्मरणकर्ता के अस्थायी पद को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायी कर दिया गया था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हरियाणा राज्य ने दिनांक 10 नवम्बर, 1988 के ज्ञापन संख् या 1/14/83-जेजे (ii) के तहत अपने पूर्व आदेश को रदद कर दिया, जिसके तहत सरकारी ज्ञापन के तहत हरियाणा के संयुक्त विधिक स्मरणकर्ता का एक पद सृजित किया । दिनांक 30 जनवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 1/14/83-जेजे (3) को 14 मई, 1978 से स्थायी कर दिया गया और उक्त पद को 14 मई, 1978 के बजाय 1 जून, 1983 से स्थायी पद में बदलने की मंजूरी प्रदान की गई। इसका परिणाम यह ह्आ कि संयुक्त विधिक स्मरणकर्ता का दूसरा अस्थायी पद, जिसे 5 अगस्त, 1983 के मेमो संख्या 1/14/83-जेजे (3) के माध्यम से स्थायी किया गया था, को उस पत्र के जारी होने की तारीख से स्थायी कर दिया गया और पुनरावलोकन को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के दावे को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था। श्री हरि राम, प्रतिवादी संख्या 4 ने स्पष्ट रूप से 10 नवंबर, 1988 के मेमो नंबर 1/1आई4/83-जेजे (एच) में निहित आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस किया और 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 515 के माध्यम से इसे च्नौती दी। यह आदेश इन दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा।

(4) जो भी प्रश्न विचारार्थ उठता है वह यह है कि क्या राज्य सरकार द्वारा संयुक्त विधिक स्मरणकर्ता के एक अस्थायी पद को पूर्वव्यापी तिथि से स्थायी पद में परिवतत करना न्यायोचित था। यह समझ से परे है कि किस आधार पर राज्य सरकार ने संयुक्त विधिक स्मरणकर्ता के दूसरे पद को पूर्वव्यापी तिथि से स्थायी में

परिवतत करने के बारे में सोचा था, विशेषकर तब जब इसका प्रभाव कतिपय सरकारी अधिकारियों को उनके निहित अधिकारों से वंचित करना था। राज्य अपनी ओर से किसी अस्थायी पद को स्थायी पद में बदलने के लिए कोई कृत्रिम तारीख तय नहीं कर सकता है। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से संविधान के अन्च्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। अन्च्छेद 14 और 16 का व्हिप व्यापक और व्यापक है। इन दो अनुच्छेदों में तर्कसंगतता का सिद्धांत शामिल है और इनका उद्देश्य राज्य द्वारा की गई मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल करना है। यह नियम अच्छी तरह से तय है कि प्रत्येक राज्य कार्रवाई में मनमानी को समाप्त किया जाना चाहिए। राज्य बिना कारण बताए संयुक्त विधिक स्मरणकर्ता के एक अस्थायी पद को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायी बनाने के लिए कृत्रिम तारीख नहीं दे सकता है। यह अनुच्छेदों के तहत समानता की गारंटी का उल्लंघन करता है। धारा 14 और 16 और इन दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन करने के कारण इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। रमन्ना बनाम आई. *ए. अथॉरिटी ऑफ इंडियां* के मामले का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जहां इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था:

"यह नियम भी सीधे अनुच्छेद 14 में सन्निहित समानता के सिद्धांत से प्रवाहित होता है। ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) 2 एससीआर 348: (ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 555) और मनुका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248: (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अब यह अच्छी

तरह से तय हो गया है कि अन्च्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानी और समानता सुनिश्चित करता है। यह आवश्यक है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ तर्कसंगत और प्रासंगिक सिदधांत पर आधारित होनी चाहिए जो गैर-भेदभावपूर्ण है; इसे किसी बाहरी या अप्रासंगिक विचार दवारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समानता से इनकार होगा। तर्कसंगतता और तर्कसंगतता का सिद्धांत जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से समानता या गैर-मनमानी का एक अनिवार्य तत्व है, अनुच्छेद 14 द्वारा पेश किया गया है और इसे प्रत्येक राज्य कार्रवाई की विशेषता होनी चाहिए, चाहे वह कानून के अधिकार के तहत हो या कानून बनाए बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग हो। राज्य, इसलिए, किसी तीसरे पक्ष के साथ संबंध, संविदात्मक या अन्यथा में प्रवेश करने में मनमाने ढंग से कार्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी कार्रवाई क्छ मानक या मानदंड के अनुरूप होनी चाहिए जो तर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण हो।

(5) सी.डब्ल्यू.पी. सं.51 1989 में याचिकाकर्ता के वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि संयुक्त कानूनी स्मरणकर्ता के दो पद थे। पहला अस्थायी पद 17 मई, 1971 को अस्तित्व में आया था, और दूसरा अस्थायी पद 14 मई, 1973 को अस्तित्व में आया था। उपर्युक्त पदों को स्थायी पदों में परिवतत करने की प्रभावी तिथि किसी सांविधिक उपबंधों द्वारा विनियमित नहीं की जाती है। यह दिनांक 29 अक्टूबर, 1976 के सरकारी ज्ञापन संख्या 6817-2 सीएस-आई-76/28957 में निहित अनुदेशों द्वारा शासित होता है। निर्देशों

के अनुसार, यदि कोई अस्थायी पद पांच साल तक अस्तित्व में रहता है, तो उसे स्थायी किया जा सकता है। नतीजतन, उपरोक्त दो पदों को क्रमशः 17 मई, 1976 और 14 मई, 1978 से स्थायी किया जाना था। दूसरा पद सही ढंग से 14 मई, 1976 से स्थायी कर दिया गया था, जबिक पहला पद, जिसे 14 मई, 1976 से स्थायी किया जाना था, को 5 अगस्त, 1983 से स्थायी कर दिया गया था।

निर्देशों के प्रासंगिक भाग को प्न: पेश करना उपयोगी होगा: -

"स्थायी विभागों में पांच वर्ष या उससे अधिक समय से अस्तित्व में रहे अस्थायी पद और जिनका कार्य निरंतर प्रकृति का है, उन्हें वित्त विभाग की औपचारिक सहमति प्राप्त करने के बाद प्रशासनिक विभागों द्वारा स्थायी किया जाना चाहिए"

इस बात में कोई विवाद नहीं है कि इन अनुदेशों के तहत, एक अस्थायी पद जो स्थायी विभाग में पांच साल से अधिक समय से अस्तित्व में है, उसे प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थायी किया जा सकता है। प्रावधान निर्देशिका है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। एक अस्थायी पद को स्थायी किया जा सकता है यदि आईएच कुछ आकस्मिकताओं के तहत पांच साल तक अस्तित्व में रहता है, लेकिन यह वहां नहीं किया जा सकता है जहां निर्णय अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करता है जैसा कि वर्तमान मामले में है। रिट-याचिकाकर्ता इन निर्देशों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, विशेष रूप से इस मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई कोकिसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। संयुक्त कानूनी स्मरणकर्ता का पहला अस्थायी पद 17 मई, 1971 से अस्तित्व में आया और इसे 4 जुलाई, 1979 से स्थायी कर दिया गया और यह समझ से परे है कि 14

मई, 1973 को अस्तित्व में आए दूसरे पद को 14 मई, 1978 से पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायी कर दिया गया था, हालांकि शुरू में इसे 5 अगस्त से स्थायी कर दिया गया था। 1983. पूर्वव्यापी तिथि के साथ दूसरे पद को स्थायी पद में परिवर्तित करने का क्या तर्क था, राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका और वास्तव में हम पाते हैं कि यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सुप्रा के अनुसार कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी थी /

(6) सरकार ने दिनांक 10 नवम्बर, 1988 के ज्ञापन सं 1/14/83-जेजे (11) के तहत अपनी ही गलती को सुधारा है जो उसने तब की थी जब उसने संयुक्त विधिक स्मरणकर्ता के दूसरे पद को पूर्वव्यापी तिथि से स्थायी कर दिया था। प्रशासनिक आदेशों को पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार! किसी भी समय प्रशासनिक मामलों में अपने निर्णय को बदल सकते हैं। यह आर. अर. वर्मा बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1461 में निम्नान्सार आयोजित किया गया था: -

"हमें नहीं लगता कि यह सिद्धांत कि समीक्षा करने की शक्ति को कानून द्वारा विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति के निर्णयों पर लागू होता है। सिद्धांत को शुद्ध प्रशासनिक निर्णयों तक विस्तारित करने से वास्तव में अप्रिय और चौंकाने वाले परिणाम होंगे। निश्चित रूप से, किसी भी सरकार को प्रशासनिक मामलों में अपनी नीति या अपने निर्णय को बदलने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

इस प्रकार, फॉर्म में, हम 30 जनवरी, 1984 के मेमो नंबर 1/14/83-जेजे

- (3) में निहित आदेश को रद्द करते हैं, और इसके परिणामस्वरूप, अधिसूचना संख्या 446-जीएजेड I/VI. F. 10, दिनांक 16 अक्टूबर, 1987 याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी की वरिष्ठता तय करते हैं। परिणामी प्रभाव यह होगा कि 1 जुलाई, 1987 तक सुधार की गई ग्रेडेशन सूची में दिखाई गई वरिष्ठता को बहाल कर दिया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता सूची में प्रतिवादी नंबर 4 से वरिष्ठ दिखाया जाएगा।
 - (7) परिणामस्वरूप, 1987 के सीडब्ल्यूपी संख्या 8804 को अनुमित दी जाती है जैसा कि ऊपर बताया गया है। 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 515 को खारिज कर दिया गया है। हालांकि, हम पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं। 1989 के सिविल मिस्क नंबर 68 का भी निपटारा कर दिया गया है।

एस.सी.के.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैतािक वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा